मास्टर परिपत्र

अग्रिमों पर ब्याज दरें

(30 जून 2008 तक अद्यतन)

बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग

भारतीय रिज़र्व बैंक

केंद्रीय कार्यालय

मुंबई

विषय-वस्तु

पैरा नं.	ब्योरे
क	उद्देश्य
ख	वर्गीकरण
ग	पूर्व अनुदेश
घ	प्रयोज्यता
1.	प्रस्तावना
2.	दिशानिर्देश
2.1	सामान्य
2.2	बेंचमार्क मूल उधार दर (बीपीएलआर) और दर-अंतर (स्प्रेड)
2.3	बेंचमार्क मूल उधार दर (बीपीएलआर) का निर्धारण
2.4	उधार दर तय करने की स्वतंत्रता
2.5	ऋणों के लिए अस्थायी ब्याज दर
2.6	दंडात्मक ब्याज दर लगाना
2.7	ऋण संबंधी करारों में सामर्थ्यकारी खंड
2.8	समाशोधित न हुए चेक आदि पर आहरण
2.9	सहायता संघीय व्यवस्था के अंतर्गत ऋण
2.10	मासिक अंतरालों पर ब्याज लगाना
2.11	उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के लिए शून्य प्रतिशत ब्याज पर वित्तीय योजनाएं
2.12	बैंकों द्वारा प्रभारित अत्यधिक ब्याज
अनुबंध 1	सभी रुपया अग्रिमों के लिए ब्याज दर ढांचा
अनुबंध 2	मध्यवर्ती एजेन्सियों की उदाहरणस्वरूप सूची
अनुबंध 3	समेकित परिपत्रों की सूची

अग्रिमों पर ब्याज-दरों से संबंधित मास्टर परिपत्र

क. उद्देश्य

अग्रिमों पर ब्याज दरों के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निदेशों को समेकित करना।

ख. वर्गीकरण

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किया गया सांविधिक निदेश।

ग. पूर्व अनुदेश

इस मास्टर परिपत्र में उपर्युक्त विषय पर **अनुबंध 3** में सूचीबद्ध किए गए परिपत्रों में निहित अनुदेशों को समेकित तथा अद्यतन किया गया है।

घ. प्रयोज्यता

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक

संरचना

1. प्रस्तावना

2. दिशानिर्देश

2.1 सामान्य
2.2 बेंचमार्क मूल उधार दर (बीपीएलआर) और दर-अंतर (स्प्रेड)
2.3 बेंचमार्क मूल उधार दर (बीपीएलआर) का निर्धारण
2.4 उधार दर तय करने की स्वतंत्रता
2.5 ऋणों के लिए अस्थायी ब्याज दर
2.6 दंडात्मक ब्याज दर लगाना
2.7 ऋण संबंधी करारों में सामर्थ्यकारी खंड
2.8 समाशोधित न हुए चेक आदि पर आहरण
2.9 सहायता संघीय व्यवस्था के अंतर्गत ऋण
2.10 मासिक अंतरालों पर ब्याज लगाना
2.11 उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के लिए शून्य प्रतिशत ब्याज पर वित्तीय योजनाएं
2.12 बैंकों द्वारा प्रभारित अत्यधिक ब्याज

3. अनुबंध

अनुबंध 1 सभी रुपया अग्रिमों के लिए ब्याज दर ढांचा
अनुबंध 2 मध्यवर्ती एजेन्सियों की उदाहरणस्वरूप सूची
अनुबंध 3 समेकित परिपत्रों की सूची

1. प्रस्तावना

1.1 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1 अक्तूबर 1960 से अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा प्रदान किए जाने वाले अग्रिमों पर न्यूनतम ब्याज दर निर्धारित करना प्रारंभ किया। 2 मार्च 1968 से न्यूनतम उधार दर की जगह बैंकों द्वारा प्रभारित की जाने वाली अधिकतम उधार दर लागू की गई जिसे 21 जनवरी 1970 से रद्द किया गया जब न्यूनतम उधार दर का निर्धारण पुन: लागू किया गया। बैंकों द्वारा अग्रिमों पर लगाई जाने वाली उच्चतम उधार दर को 15 मार्च 1976 से पुन: लागू किया गया और बैंकों को पहली बार यह सूचित किया गया कि अग्रिमों पर आवधिक अंतरालों पर अर्थात,तिमाही अंतरालों पर ब्याज प्रभारित किया जाए। उसके बाद की अवधि के दौरान विशिष्ट क्षेत्रों,कार्यक्रमों तथा प्रयोजनों के लिए विभिन्न ब्याज दरें लागू की गईं।

1.2 समय के साथ-साथ विकसित हुई दरों की अत्यधिक विविधता की विशिष्टता वाले अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के उधार दरों के प्रचलित ढांचे के परिप्रेक्ष्य में सितंबर 1990 में ब्याज दरों को ऋण की मात्रा के साथ जोड़ने वाला उधार दरों का एक नया ढांचा निर्धारित किया गया जिसके कारण ब्याज दरों की बहुविधता और जटिलता में उल्लेखनीय कमी आयी। विभेदक ब्याज दर योजना के मामले में जिसके अंतर्गत 4.0 प्रतिशत वार्षिक की दर पर ऋण प्रदान किया जाता था और निर्यात ऋण जो कि ब्याज दर सहायताओं से अनुपूर्ति किए गए उधार दरों की संपूर्णतः भिन्न व्यवस्था के अधीन था, विद्यमान उधार दर ढांचे को जारी रखा गया।

1.3 वित्तीय क्षेत्र सुधारों का एक लक्ष्य प्रशासित ब्याज दरों में निहित वित्तीय दमन को हटाना सुनिश्चित करना रहा है। तदनुसार, बैंकों को अधिक कार्यात्मक स्वायत्तता प्रदान करने के परिप्रेक्ष्य में 18 अक्तूबर 1994 से यह निर्णय लिया गया कि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की 2 लाख रुपये से अधिक राशि की ऋण सीमाओं के लिए उधार दरों को मुक्त किया जाए, 2 लाख रुपये तक के ऋणों के लिए यह निर्णय लिया गया कि इन उधारकर्ताओं को संरक्षण देना जारी करने की दृष्टि से यह आवश्यक था कि उधार दरों को प्रशासित रखा जाए, दो लाख रुपये से अधिक राशि की ऋण सीमाओं के लिए न्यूनतम उधार दर निर्धारित किया जाना समाप्त कर दिया गया तथा बैंकों को ऐसी ऋण सीमाओं के लिए उधार दरों को निर्धारित करने की स्वतंत्रता दी गयी। अब बैंकों को न्यूनतम मूल उधार दर (बीपीएलआर) निर्धारित करने के लिए अपने संबंधित बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना पडता है। यह बीपीएलआर 2 लाख रुपये से अधिक राशि की ऋण सीमाओं के लिए संदर्भ दर रहेगी। प्रत्येक बैंक को बेंचमार्क मूल उधार दर घोषित करनी होगी और वह सभी शाखाओं में एकसमान रूप से लागू होगी।

2. दिशानिर्देश

2.1. सामान्य

2.1.1. अग्रिमों पर ब्याज लगाने के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निदेशों के अनुसार, बैंकों को ऋण / अग्रिम / नकदी ऋण / ओवरड्राफ्ट पर अथवा उनके द्वारा स्वीकृत /दिये गये / नवीकृत किये गये किसी भी अन्य वित्तीय निभाव पर ब्याज लगाना चाहिए अथवा मीयादी बिल भुनाना चाहिए ।

2.1.2. ब्याज की निर्दिष्ट दरें मासिक अंतरालों पर प्रभारित की जाएं (यह पैरा 2.10 में निर्धारित शर्तों के अधीन होगी) तथा उसे निकटतम रुपये तक पूर्णांकित किया जाए।

2.1.3. ऋण की मात्रा और लागू होनेवाली ब्याज दर निर्धारित करने के लिए बैंकों को मीयादी ऋण और कार्यशील पूंजी संबंधी अग्रिमों को जोड़ लेना चाहिए ।

2.1.4. वर्तमान निदेश के अनुसार इस समय प्रचलित ब्याज दरों की अनुसूची **अनुबंध 1** में दी गयी है ।

2.2 बेंचमार्क मूल उधार दर (बीपीएलआर) तथा स्प्रेड

2.2.1. 18 अक्तूबर 1994 से भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2 लाख रुपयों से अधिक राशि के अग्रिमों पर ब्याज दरों का अविनियमन किया है और ऐसे अग्रिमों पर ब्याज की दरें बीपीएलआर और स्प्रेड संबंधी दिशानिर्देशों के अधीन बैंकों को अपने आप निर्धारित करनी है। 2 लाख रुपयों तक की ऋण सीमाओं के लिए बैंकों को उतना ही ब्याज प्रभारित करना चाहिए जो कि उनके बीपीएलआर से अधिक नहीं है। अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए और वाणिज्य बैंकों को अपनी उधार दरों को निश्चित करने में परिचालनगत लचीलापन प्रदान करने के लिए, बैंक अपने संबंधित बोर्डों द्वारा अनुमोदित पारदर्शी तथा वस्तुपरक नीति के आधार पर निर्यातकों अथवा अन्य ऋण देने के लिए पात्र उधारकर्ताओं को बीपीएलआर से कम दर पर ऋण दे सकते हैं, जिनमें सार्वजनिक उपक्रम शामिल हैं । बैंक बीपीएलआर से ऊपर ब्याज दरों के अधिकतम स्प्रेड को घोषित करना जारी रखेंगे।

2.2.2. भारत में प्रचलित ऋण बाज़ार तथा छोटे उधारकर्ताओं को रियायत देना जारी रखने की आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में बीपीएलआर को 2 लाख रुपयों तक के ऋणों के लिए उच्चतम सीमा मानने की प्रथा जारी रहेगी।

2.2.3 टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं को खरीदने के लिए दिए गए ऋणों, शेयर तथा डिबेंचर्स/बांडों की जमानत पर व्यक्तियों के दिए गए ऋणों, अन्य गैर-प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र व्यक्तिगत ऋणों आदि के संबंध में पैरा 2.4 में दिए गए ब्यौरों के अनुसार बैंक बीपीएलआर से संदर्भ किए बिना तथा ऋण की मात्रा पर ध्यान दिए बिना ब्याज दरों का निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र हैं।

2.2.4 न्यूनतम मूल उधार दर संबंधित बैंक की सभी शाखाओं में एकसमान रूप से लागू की जाएगी ।

2.3. <u>बेंचमार्क मूल उधार दर का निर्धारण</u>

2.3.1. बैंकों के ऋण उत्पादों के मूल्य निर्धारण में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए तथा यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि मूल उधार दर वास्तविक लागत दर्शाये, बैंक अपनी बेंचमार्क मूल उधार दर का निर्धारण करते समय नीचे दिये गये सुझावों पर विचार करें :

(क) बैंकों को बेंचमार्क मूल उधार दर निर्धारित करते समय अपनी (i) निधियों की वास्तविक लागत; (ii) परिचालन व्यय तथा (iii) प्रावधानीकरण / पूंजी प्रभार तथा लाभ मार्जिन संबंधी विनियामक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए न्यूनतम मार्जिन को ध्यान में रखना चाहिए । बैंकों को अपने निदेशक-मंडल के अनुमोदन से बेंचमार्क मूल उधार दर घोषित करनी चाहिए ।

(ख) बेंचमार्क मूल उधार दर 2 लाख रुपये तक की ऋण-सीमा के लिए अधिकतम दर होगी ।

(ग) उपर्युक्त के अनुसार मीयादी प्रीमियम तथा /अथवा जोखिम प्रीमियम को विचार में लेते हुए निर्धारित की गई बेंचमार्क मूल उधार दर के संदर्भ में सभी अन्य उधार दरें निर्धारित की जा सकती हैं।

बेंचमार्क मूल उधार-दर के परिचालनगत पहलुओं से संबंधित विस्तृत दिशानिर्देश भारतीय बैंक संघ ने 25 नवंबर 2003 को जारी किए हैं।

2.3.2. ग्राहक संरक्षण के हित में और उधारकर्ताओं को प्रभारित की गई वास्तविक ब्याज दरों के संबंध में अधिक पारदर्शिता हो, इसके लिए बैंकों को चाहिए कि वे बेंचमार्क मूल उधार दर के साथ प्रभारित की जाने वाली अधिकतम तथा न्यूनतम ब्याज दरों संबंधी जानकारी देना जारी रखें।

2.4. <u>उधार दरें निश्चित करने की स्वतंत्रता</u>

2.4.1. निम्नलिखित ऋणों के संबंध में बैंकों को बीपीएलआर से संदर्भ किए बिना तथा ऋण की मात्रा पर ध्यान दिए बिना ब्याज दर निर्धारित करने की स्वतंत्रता है :

i. टिकाऊ- उपभोक्ता वस्तुएं खरीदने के लिए ऋण;

ii. शेयर तथा डिबेंचर्स /बांडों की जमानत पर व्यक्तियों को दिए गए ऋण;

iii. क्रेडिट कार्ड देयताओं सहित अन्य गैर-प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र व्यक्तिगत ऋण;

iv. बैंक के पास घरेलू / अनिवासी बाह्य खाता / विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों की जमानत पर अग्रिम / ओवरड्राफ्ट, बशर्ते कि जमाराशि / जमाराशियां या तो ऋणकर्ता / ऋणकर्ताओं के स्वयं के नाम में हों या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप में ऋण लेनेवाले के नाम में हों;

v. अंतिम हिताधिकारियों को आगे उधार देने के लिए आवास वित्त मध्यवर्ती एजेंसियों (**अनुबंध 2** में दी गयी सूची) सहित मध्यवर्ती एजेंसियों तथा निविष्टि समर्थन देने वाली एजेंसियों को प्रदान किया गया वित्त;

vi. बिलों की भुनाई;

vii. चयनात्मक ऋण नियंत्रण के अधीन पण्यों /वस्तुओं की जमानत पर दिए गए ऋण/ अग्रिम/ नकद ऋण /ओवरड्राफ्ट;

viii. किसी सहकारी बैंक को या किसी अन्य बैंकिंग संस्थान को;

ix. अपने ही कर्मचारियों को ;

x. मीयादी ऋणदात्री संस्थाओं की पुनर्वित्त योजनाओं द्वारा कवर किए गए ऋण।

2.5. ऋणों के लिए अस्थायी ब्याज दर

2.5.1. बैंक इस बात के लिए स्वतंत्र हैं कि वे सभी प्रकार के ऋण निश्चित या अस्थायी दर पर दे सकें परंतु इस संबंध में उन्हें आस्ति-देयता प्रबंध संबंधी दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को अपने अस्थायी दर के ऋण उत्पादों का मूल्य निर्धारण करने के लिए सिर्फ बाह्य अथवा बाजार आधारित रुपया बेंचमार्क मूल उधार दर का प्रयोग करना चाहिए । अस्थायी दरों की गणना की विधि वस्तुनिष्ठ, पारदर्शी तथा दोनों पार्टियों को परस्पर स्वीकार्य होनी चाहिए । बैंकों को अपने आंतरिक बेंचमार्क दर या पूर्वताप्राप्त (अंडर लाइंग) किसी अन्य व्युत्पन्न दर से संबद्ध किसी अस्थायी दर वाले ऋण प्रस्तावित नहीं करने चाहिए । यह विधि सभी नए ऋणों के लिए अपनाई जानी चाहिए। दीर्घावधि/सावधि वर्तमान ऋणों के मामलों में, बैंकों को ऋण खातों की समीक्षा या नवीकरण करते समय संबंधित उधारकर्ता/उधारकर्ताओं की सहमति प्राप्त करके उपर्युक्त विधि के अनुसार अस्थायी दरों को पुनर्निर्धारित करना चाहिए ।

2.6. दंडात्मक ब्याज दर लगाना

चूंकि बैंकों के निदेशक-मंडलों को बेंचमार्क मूल उधार दर और मूल उधार दर से अधिक ब्याज निर्धारित करने का अधिकार है, अतः बैंकों को अपने निदेशक-मंडल के अनुमोदन से दंडात्मक ब्याज लगाने के लिए पारदर्शी नीति बनाने की अनुमति (10 अक्तूबर 2000 से) दी गई है । परंतु प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के उधारकर्ताओं को दिये गये ऋणों के संबंध में 25,000 रुपये तक के ऋणों के लिए कोई दंडात्मक ब्याज नहीं लगाया जाना चाहिए । चुकौती में चूक, वित्तीय विवरण प्रस्तुत न करने आदि कारणों के लिए दंडात्मक ब्याज लगाया जा सकता है । परन्तु दंडात्मक ब्याज संबंधी नीति पारदर्शिता, निष्पक्षता, ऋण की चुकौती के लिए प्रोत्साहन और ग्राहकों की वास्तविक कठिनाइयों को ध्यान में रखने के सम्यक्-स्वीकृत सिद्धांतों को आधार बनाकर तैयार की जानी चाहिए ।

2.7. ऋण करारों में सामर्थ्यकारी खंड

2.7.1. बैंकों को मीयादी ऋण सहित सभी प्रकार के अग्रिमों के मामलों में ऋणसंबंधी करारों में निम्नलिखित शर्त अनिवार्यतः शामिल करनी चाहिए जिससे कि बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निदेशों के अनुकूल ब्याज दर लागू कर सकें । ''बशर्ते ऋणकर्ता द्वारा देय ब्याज भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर किये गये ब्याज दर संबंधी परिवर्तनों के अधीन होगा ।''

2.7.2. चूंकि बैंक ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज दरों के संबंध में रिज़र्व बैंक के निदेशों से बाध्य हैं जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35 क के अंतर्गत जारी किये जाते हैं, अतः बैंक किसी भी प्रकार के ब्याज दर संशोधन को लागू करने के लिए बाध्य हैं, चाहे दरें बढ़ायी जायें या घटायी जायें और यह निदेश / संशोधित ब्याज दर (आधारभूत मूल उधार-दर और अंतर) में परिवर्तन के लागू होने की तारीख से सभी मौजूदा अग्रिमों पर लागू होगा, जब तक कि विशिष्ट रूप से किसी अन्य बात के निदेश न हों ।

2.7.3 पैरा 2.7.1 और 2.7.2 नियत दर वाले ऋणों के मामले में लागू नहीं होंगे ।

2.8. समाशोधित न हुए चेक आदि पर आहरण

2.8.1. जहां समाशोधन के लिए भेजे गये चेकों , अर्थात् समाशोधित न हुई राशि (उदाहरण के लिए समाशोधित न हुए स्थानीय या बाहरी चेक) जो गैर-जमानती अग्रिम के स्वरूप के होते हैं /होती है, के बदले आहरण की अनुमति है, वहाँ बैंकों को ऐसे आहरणों पर अग्रिमों पर ब्याज दर संबंधी निदेशों के अनुसार ब्याज लगाना चाहिए ।

2.8.2. यह नोट किया जाए कि ये अनुदेश ग्राहक-सेवा के एक उपाय के रूप में उगाही के लिए भेजे गये चेकों के संबंध में तत्काल राशि जमा करने संबंधी जमाकर्ताओं को दी गयी सुविधा पर लागू नहीं होंगे ।

2.9. सहायता संघीय व्यवस्था के अंतर्गत ऋण

बैंकों को सहायता संघीय व्यवस्था के अंतर्गत भी एकसमान दर पर ब्याज लगाना आवश्यक नहीं है। प्रत्येक सदस्य-बैंक को ऋणकर्ताओं को दी गयी ऋण-सीमा के भाग पर अपनी आधारभूत मूल उधार दर के अधीन ब्याज लगाना चाहिए ।

2.10. मासिक अंतराल पर ब्याज प्रभारित करना

2.10.1 बैंकों को 1 अप्रैल 2002 से मासिक अंतरालों पर ब्याज प्रभारित करने की प्रणाली में अंतरित होना था। बैंकों को यह सुनिश्चित करना था कि नई प्रणाली में अंतरण केवल मासिक अंतरालों पर ब्याज प्रभारित/संयोजित करने की प्रणाली में अंतरण के कारण प्रभावी दर में वृद्धि से उधारकर्ताओं पर उसके बोझ में वृद्धि नहीं होती है।

उदाहरण के लिए :

यदि कोई बैंक किसी ऋणकर्ता के खाते में 12 प्रतिशत की दर पर तिमाही अंतराल पर ब्याज लगाता है तो प्रभावी दर 12.55 प्रतिशत हो जाती है । यदि बैंक उसी खाते में 12 प्रतिशत की दर पर मासिक अंतराल पर ब्याज लगाता है तो प्रभावी दर 12.68 प्रतिशत हो जाती है । इसलिए बैंकों को ऋणकर्ता के खाते में लगायी गयी 12 प्रतिशत की ब्याज दर को इस तरह समायोजित करना चाहिए कि ऋणकर्ता के लिए प्रभावी ब्याज दर अब तक की तरह 12.55 प्रतिशत से अधिक न हो जाये । इस प्रकार उपर्युक्त उदाहरण में बैंकों को 11.88 प्रतिशत की दर पर ब्याज लगाना चाहिए (न कि 12 प्रतिशत) । यदि ऐसा किया जायेगा तो मासिक अंतराल पर चक्र वृद्धि ब्याज दर लगाने पर भी प्रभावी दर 12.55 प्रतिशत होगी ।

2.10.2. मासिक अंतराल पर ब्याज सभी नये और मौजूदा मीयादी ऋणों तथा अपेक्षाकृत लंबी / नियत अवधि के अन्य ऋणों पर लागू होगा । अपेक्षाकृत लंबी / नियत अवधि के मौजूदा ऋणों के मामले में बैंक ऋण की शर्तों की समीक्षा करते समय अथवा ऐसे ऋण- खातों का नवीकरण करते समय या ऋणकर्ता से सहमति प्राप्त करने के बाद मासिक अंतराल पर ब्याज लगाना आरंभ करेंगे ।

2.10.3 मासिक अंतराल पर ब्याज लगाने से संबंधित अनुदेश कृषि अग्रिमों पर लागू नहीं होंगे और बैंक फसल-मौसमों से संबद्ध कृषि अग्रिमों पर ब्याज लगाने /चक्रवृद्धि ब्याज लगाने की वर्तमान प्रथा जारी रखेंगे । 29 जून 1998 के परिपत्र आरपीसीडी.सं. पीएलएफएस. बीसी. 129/ 05.02.27/ 97-98 में दिये गये अनुदेशों के अनुसार बैंकों को लंबे समय की फसलों के लिए कृषि अग्रिमों पर वार्षिक अंतराल पर ब्याज लगाना चाहिए । अल्प समय की फसलों और संबद्ध कृषि कार्यकलापों जैसे डेरी, मछली पालन, सुअर पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन आदि के संबंध में यदि ऋण / किस्त का भुगतान अतिदेय हो जाये तो बैंक ब्याज लगाते समय और चक्रवृद्धि ब्याज लगाते समय ऋण लेने वालों के साथ लचीलेपन और फसल कटने /बेचने के मौसम के आधार पर तय की गयी तारीखों को ध्यान में रखें । साथ ही, बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि छोटे और सीमांत किसानों को दिए जाने वाले

अल्पावधि अग्रिमों के संबंध में, किसी खाते पर नामे कुल ब्याज मूलधन की राशि से अधिक नहीं होना चाहिए ।

2.11. उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के लिए शून्य प्रतिशत ब्याज पर वित्त संबंधी योजनाएं

बैंकों को निर्माताओं / डीलरों से प्राप्त डिस्काउंट के समायोजन के माध्यम से ऋणकर्ताओं को उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के लिए कम /शून्य प्रतिशत ब्याज-दर पर अग्रिम देने से बचना चाहिए क्योंकि ऐसी ऋण- योजनाओं में परिचालनगत पारदर्शिता की कमी होती है और इनके चलते ऋण उत्पादों की मूल्यन-व्यवस्था विकृत हो जाती है। ये उत्पाद लगाये गए ब्याज की दरों के संबंध में ग्राहकों को स्पष्ट जानकारी भी नहीं देते। बैंकों को विभिन्न समाचार-पत्रों और प्रचार माध्यमों में विज्ञापन देकर ऐसी योजनाओं को बढ़ावा भी नहीं देना चाहिए कि वे ऐसी योजनाओं के अंतर्गत उपभोक्ताओं को सुविधा /वित्त प्रदान कर रहे हैं । बैंकों को किसी भी ऐसे प्रोत्साहन-आधारित विज्ञापन के साथ किसी भी रूप में/प्रकार से अपना नाम जोड़ने से बचना चाहिए जहां ब्याज दर के संबंध में स्पष्टता न हो।

2.12. बैंकों द्वारा प्रभारित अत्यधिक ब्याज

2.12.1. हालांकि ब्याज दरों का अविनियमन किया गया है, फिर भी, एक विशिष्ट स्तर से अधिक ब्याज प्रभारित करना सूदखोरी मानी जाती है और उसे न तो निरंतर बनाए रखा जा सकता है और वह न ही सामान्य बैंकिंग प्रथाओं के अनुसार हो सकता है। अतः बैंकों के बोर्डों को सूचित किया गया है कि वे ऐसी उचित आंतरिक सिद्धांत तथा क्रियाविधियां निर्धारित करें कि जिससे वे ऋण तथा अग्रिमों पर अत्यधिक (सूदखोर) ब्याज जिसमें प्रसंस्करण तथा अन्य प्रभार शामिल हैं, प्रभारित नहीं करेंगे। कम मूल्य के ऋणों, विशेषतः व्यक्तिगत ऋणों तथा उसी प्रकार के कुछ अन्य ऋणों के संबंध में ऐसे सिद्धांतों तथा क्रियाविधियों को निर्धारित करते समय बैंकों को अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित विस्तृत दिशानिर्देशों को ध्यान में लेना हो :

ऐसे ऋणों को स्वीकृत करने के लिए एक उचित पूर्वानुमोदन प्रक्रिया निर्धारित करनी होगी। इस प्रक्रिया में अन्य बातों सहित भावी उधारकर्ता के नकद प्रवाहों को ध्यान में लिया जाना चाहिए।

बैंकों द्वारा प्रभारित ब्याज दरों में अन्य बातों के साथ-साथ उधारकर्ता के आंतरिक रेटिंग को ध्यान में लेते हुए उचित तथा योग्य समझे गये जोखिम प्रीमियम को शामिल किया जाना चाहिए। इसके अलावा, जोखिम पर विचार करते समय, जमानत का होना या न होना तथा उससे मूल्य को ध्यान में लिया जाना चाहिए।

उधारकर्ता को ऋण की कुल लागत जिसमें ऋण पर लगाए जाने वाला ब्याज और अन्य सभी प्रभार शामिल हैं, उचित होनी चाहिए और जिस ऋण को चुकाया जाना है, उसे प्रदान करने में बैंक द्वारा ग्रहण की गई कुल लागत तथा उक्त लेन-देन से अपेक्षित उचित लाभ की मात्रा के अनुकूल होनी चहिए।

ऐसे ऋणों पर लगाए जाने वाले प्रसंस्करण तथा अन्य प्रभारों सहित ब्याज की एक उचित उच्चतम सीमा निर्धारित की जानी चाहिए और उसे उचित रूप से प्रकाशित किया जाना चाहिए।

अनुबंध 1

वाणिज्य बैंकों के मीयादी ऋणों सहित सभी रु पया अग्रिमों के लिए ब्याज दर ढाँचा

(पेराग्राफ 2.1.4)

ब्याज दर (प्रतिशत वार्षिक)

1. (क) 2 लाख रुपये सहित 2 लाख रुपये तक	बेंचमार्क मूल उधार दर से अधिक नहीं
(ख) 2 लाख रुपये से अधिक	बेंचमार्क मूल उधार दर और अंतर संबंधी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए बैंक ब्याज दर निश्चित करने के लिए स्वतंत्र हैं। तथापि बैंक अपने निदेशक मंडलों द्वारा अनुमोदित पारदर्शी एवं यथार्थपरक नीति के आधार पर निर्यातकों या सरकारी उद्यमों सहित अन्य योग्य उधारकर्ताओं को बेंचमार्क मूल उधार दर से कम दर पर भी ऋण दे सकते हैं।

2. निर्यात ऋण

निर्यात ऋण की निम्नलिखित श्रेणियों के लिए 1 मई 2008 से 31 अक्तूबर 2008 तक की अवधि के लिए लागू ब्याज दर, बेंचमार्क मूल उधार दर से 2.5 प्रतिशतता बिंदु घटाकर आनेवाली दर से अनधिक होंगे ।

	निर्यात ऋण की श्रेणियां
1.	**पोतलदानपूर्व ऋण (अग्रिम की तारीख से)**
	(क) 180 दिन तक
	(ख) ईसीजीसी गारंटी के अंतर्गत आने वाले, सरकार से प्राप्य प्रोत्साहनों के आधार पर 90 दिन तक
2.	**पोतलदानोत्तर ऋण (अग्रिम की तारीख से)**
	(क) मांग बिलों पर पारगमन अवधि के लिए (फेडाई द्वारा यथानिर्दिष्ट)
	(ख) मीयादी बिल (कुल अवधि के लिए जिसमें निर्यात बिलों की मीयाद, फेडाई द्वारा निर्दिष्ट पारगमन अवधि तथा अनुग्रह अवधि, जहां कहीं लागू हो, शामिल होगी)
	i) 90 दिनों तक ii) गोल्ड कार्ड योजना के अंतर्गत पात्र निर्यातकों के लिए 365 दिन तक
	(ग) सरकार से प्राप्य प्रोत्साहनों (ईसीजीसी गारंटी के अंतर्गत आने वाले) के आधार पर 90 दिन तक
	(घ) अनाहरित शेष राशियों के आधार पर (90 दिनों तक)
	(ङ.) पोतलदान की तारीख से एक वर्ष के भीतर देय प्रतिधारण राशि के आधार पर (केवल आपूर्ति वाले भाग के लिए) (90 दिनों तक)

बीपीएलआर : बेंचमार्क मूल उधार दर

नोट: **1.** चूंकि ये अधिकतम दरें हैं, इसलिए बैंक अधिकतम दर से नीचे किसी भी दर पर ब्याज लगा सकते हैं ।

2. उपर्युक्तानुसार निर्धारित अवधियों से अधिक के निर्यात ऋण की उपर्युक्त श्रेणियों के लिए निर्धारित ब्याज दर अविनियमित हैं और बैंक बेंचमार्क मूल उधार दर और स्प्रेड दिशानिर्देशों को ध्यान में रखकर ब्याज दर निश्चित करने के लिए स्वतंत्र हैं ।

3.	**शैक्षणिक ऋण योजना**	
	4 लाख रुपये तक	बेंचमार्क मूल उधार दर से अधिक नहीं
	4 लाख रुपये से अधिक	बेंचमार्क मूल उधार दर +1%
नोट	1. चुकौती छूट अवधि/ऋण-स्थगन अवधि के दौरान सरल आधार पर तिमाही/अर्धवार्षिक ब्याज नामे लिखा जाए ।	
	2. दो लाख रुपए से अधिक के ऋणों के लिए अतिदेय अवधि और अतिदेय राशि पर 2% दर से दंडात्मक ब्याज लगाया जाए।	
4.	**डीआरआइ अग्रिम**	4.0%
5.	**निम्नलिखित ऋणों के संबंध में बैंक बेंचमार्क मूल उधार दर और आकार पर ध्यान दिए बिना ब्याज दरें निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं:**	
	उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएँ खरीदने के लिए ऋण।	
	शेयरों और डिबेंचरों/बांडों की जमानत पर व्यक्तियों को ऋण।	
	क्रेडिट कार्ड देयताओं सहित गैर-प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अन्य व्यक्तिगत ऋण।	
	बैंकों के पास जमाओं/अनिवासी बाह्य/विदेशी मुद्रा अनिवासी (बी) जमाओं के आधार पर अग्रिम/ओवड्राफ्ट, परंतु शर्त यह होगी कि जमाराशि या तो उधारकर्ता के खुद के नाम में हो या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से उधारकर्ता के नाम में हो।	
	अंतिम लाभग्राहियों और इनपुट सहायता प्रदान करने वाली एजेंसियों को ऋण दिए जाने हेतु मध्यवर्ती एजेंसियों को (आवास एजेंसियों मो छोड़कर) मंजूर किया गया वित्त ।	
	अंतिम लाभग्राहियों को ऋण दिए जाने हेतु आवास वित्त मध्यवर्ती एजेंसियों को मंजूर किया गया वित्त ।	
	बिलों की भुनाई ।	
	वस्तुओं की जमानत पर ऋण /अग्रिम/नकदी ऋण /ओवरड्राफ्ट, परंतु इस मामले में चयनात्मक ऋण नियंत्रण संबंधी शर्तें लागू होंगी।	
6.	**मीयादी ऋण संस्थाओं की पुनर्वित्त योजनाओं में सहभागिता के कारण सुरक्षित ऋण**	
	बेंचमार्क मूल उधार दर का ध्यान रखे बिना, पुनर्वित्त एजेन्सियों की शर्तों के अनुसार ब्याज लगाने के लिए स्वतंत्र।	
नोट :	मध्यवर्ती एजेन्सियों के नाम मास्टर परिपत्र के **अनुबंध 2** में दिये गये हैं ।	

अनुबंध 2

मध्यवर्ती एजेन्सियों की उदाहरणस्वरूप सूची

[पैराग्राफ 2.4.1(v) देखें]

1. कमज़ोर वर्गों को आगे ऋण देने के लिए राज्य द्वारा प्रायोजित संगठन । कमज़ोर वर्गों में निम्नलिखित शामिल हैं -
   - i) 5 एकड़ और उससे कम भूधारितावाले लघु और सीमांत किसान, भूमिहीन श्रमिक, काश्तकार और बंटाईदार ;
   - ii) शिल्पी, ग्रामीण और कुटीर उद्योग जिनमें अलग-अलग ऋण संबंधी अपेक्षाएं 50 हजार रुपये से अधिक न हों ;
   - iii) स्वर्ण जयंती रोजगार योजना के लाभार्थी;
   - iv) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ।
   - v) विभेदक ब्याज दर योजना के लाभार्थी;
   - vi) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थी;
   - vii) सफाईवालों की मुक्ति और पुनर्वास योजना के अंतर्गत आनेवाले लाभार्थी ।
   - viii) स्वयं सहायता समूहों को स्वीकृत अग्रिम ।
   - ix) विपत्तिग्रस्त गरीबों को अनौपचारिक क्षेत्र से लिए गए उनके ऋण को चुकाने के लिए उचित संपार्श्विक अथवा सामूहिक जमानत पर ऋण।

   समय-समय पर भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए अनुसार अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों को उपर्युक्त (i) से (viii) के अंतर्गत प्रदान किये गये ऋण है।

   उन राज्यों में जहां अधिसूचित किए गए अल्पसंख्यक समुदाय में से एक वास्तव में अधिसंख्यक समुदाय है वहां मद (ix) के अंतर्गत केवल अन्य अधिसूचित अल्पसंख्यक कवर किए जाएंगे। वे राज्य/संघ शासित प्रदेश हैं, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, सिक्किम, मिज़ोरम, नागालैण्ड और लक्षद्वीप।
2. कृषि निविष्टियों /उपकरणों के वितरक ।
3. राज्य वित्त निगम /राज्य औद्योगिक विकास निगम, उस सीमा तक जिस सीमा तक वे कमज़ोर वर्गों को ऋण प्रदान करते हैं ।
4. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ।
5. खादी और ग्रामोद्योग आयोग ।
6. विकेंद्रीकृत क्षेत्र को मदद करनेवाली एजेंसियां ।
7. कमज़ोर वर्गों को आगे ऋण प्रदान करने के लिए राज्य प्रायोजित संगठन ।
8. आवास और शहरी विकास निगम लि. (हडको) ।
9. राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा पुनर्वित्त के लिए अनुमोदित आवास वित्त कंपनियां ।
10. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य प्रायोजित संगठन (इन संगठनों के लाभार्थियों को निविष्टियों की खरीद और आपूर्ति के लिए और /अथवा उनके उत्पादन के विपणन के लिए) ।
11. स्वयं सहायता समूहों को आगे ऋण देने के लिए व्यष्टि वित्त संस्थाएं / गैर सरकारी संगठन ।

अनुबंध 3

‘अग्रिमों पर ब्याज दरें’ पर मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची

क्र.सं.	**संदर्भ संख्या**	**तारीख**
1.	बैंपविवि. डीआइआर.(ईएक्सपी). बीसी. सं. 77/04.02.01/ 2007-08	28.04.2008
2.	बैंपविवि. डीआइआर. बीसी. सं. 6/13.03.00/ 2007-08	02.07.2007